न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – रामकिशोर गोप.......बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 07/2023

द्वितीय पक्ष – आनंद साहुर, ... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
03/11/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 02/2023 दिनांक 18/02/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष (1)** रामकिशोर गोप उम्र 33 वर्ष पिता स्व0 मुनु गोप, उम्र कराकेल थाना कामडारा, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) आनंद साहु उम्र 28 वर्ष पिता गंगाधर साव, ग्राम रमातोलया, थाना कामडारा जिला गुमला के बीच शराब पीने को लेकर हुए विवाद के कारण प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (मुहर: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला)) 3/11/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.07.09 14:05:42 +05:30 Location: 192.168.1.10	